अपर समाहर्त्ता का न्यायालय, गोड्डा

मुटेशन रिभिजन नं0- 17/2012-13

14/12/2022

अपीलकर्त्ता- विमल राम वैगरह

बनाम्

उत्तरवादी- युगल राम वगैरह

-: आदेश :-

यह अपील भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, गोड्डा के म्यूटेशन अपील नं0-14/2009-10 में पारित आदेश दिनांक-22.06.2012 के विरूद्ध दिनांक-20.07.2012 को दाखिल किया गया है। जिसे दिनांक-24.01.2013 को स्वीकृत कर उपायुक्त महोदय के द्वारा वाद को निष्पादन हेतु अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में हस्तांतरित किया गया। पक्षकारों को नोटिस निर्गत किया गया एवं वाद की कार्रवाई प्रारंभ किया गया।

उभय पक्षों को दिनांक-12.02.2020 को सुना गया। अपीलकर्त्ता द्वारा लिखित वहस भी दाखिल किया गया एवं साथ में कागजात दाखिल किया गया है। अपीलकर्त्तागणों का कहना है कि निम्न न्यायालय का आदेश दिनांक-22.06.2012 न्यायोचित नही है। निम्न न्यायालय द्वारा अपीलकर्त्तागणों के अपील के आधार पर सही रूप में नही विचार किया गया है। अपीलकर्त्ता द्वारा यह भी कहा गया है कि मौजा अमौर जमाबंदी नं0-74, दाग नं0-482 एवं 483 कुल रकवा-14 कट्टा 16 धूर जमीन हरिचरण राम के नाम से गत गेंजर सेटलमेंट के खतियान में दर्ज है जिसके कैफियत खाने में हरिचरण राम का नाम दर्ज है।

आवेदकगण खतियानी रैयत के वंशज है। तथा उत्तरवादी का खतियानी रैयत से कोई संबंध नही है। 1959 में विपक्षीगणों के पूर्वज ने म्यूटेशन केश 32/1959-60 अपने नाम से बिना कुछ आधार के दर्ज करा लिये है।

अपीलकर्त्ता का यह भी कहना है कि अंचलाधिकारी के न्यायालय में 1.12.1959 को नामांतरण हेतु विपक्षी के पूर्वज ने दाखिल किया दिनांक- 23.12.59 को बिना निर्गत किए आदेश पारित कर दिया जो अंचलाधिकारी के मिली भगत से विपक्षी के पूर्वज ने अपने नाम करा लिया।

अपीलकर्त्ता ने निम्नांकित मुख्य बातों पर विचार करने हेतु आग्रह किया है।

(क) स्पष्ट है कि वपक्षी बाहरी व्यक्ति है जो खतियानी रैयत के उत्तराधिकारी के रूप में दावा नही करते है।

(ख) विपक्षी द्वारा म्यूटेशन केश नं0-32/23.12.59 से संबंधित महत्वपूर्ण कागजात भी दाखिल नही किये है जिसके आधार पर उक्त नामांतरण आदेश पारित किया गया है।

(ग) संथाल परगना में जमीन अहस्तांतरित है तथा बहस के दौरान विपक्षी के अधिवक्ता द्वारा यह भी नही बताया गया कि कानून पर आधारित 1959 में किया है।

(घ) अपीलकर्त्ता को कोई पूर्व में म्यूटेशन की जानकारी नही हुई जब उसे दिनांक-02.02.2007 को दाखिल हुई जिसके लिए लिमिटेशन एक्ट 1963 के धारा-5 के तहत क्षमा याचना हेतु आवेदन भी शपथपत्र के साथ दाखिल किया है जो निम्न न्यायालय द्वारा विचारणीय था।

अपीलकर्त्ता का यह भी कहना है कि भूमि सुधार उप समाहर्त्ता ने तथ्य पर आधारित कोई आदेश पारित न कर तकनीकी आधार को मान कर अपील को खारिज किया

है जबकि अपील को स्वीकृत करने के लिए काफी तथ्य मौजूद था। अंत में अपीलकर्त्ता ने यह अपील स्वीकृत कर निम्न न्यायालय के आदेश दिनांक-22.06.2012 को निरस्त करने की प्रार्थना करते है। साथ ही साथ अंचलाधिकारी के म्युटेशन केश नं0-32 दिनांक-23.12.1959 को रद्ध करने की याचना करते है।

उत्तरवादी गणों द्वारा अपने वाद के समर्थन में दिनांक-02.07.2014 को लिखित मंतव्य भी दाखिल किया गया जिसमें कहा गया है निम्न न्यायालय का आदेश दिनांक-22.06.2012 विधि सम्मत है तथा सभी बिन्दुओं पर विचार कर आदेश पारित किया गया है और आवेदक द्वारा यह कहा गया है कि विपक्षी ने अवैध एवं झूठ का सहारा लेकर किया है वह बिलकूल न्यायोचित नही है क्योकि यह कही नही लिखित मे आया कि झूठ का सहारा लेकर अपील आवेदन में अंकित नही है।

विपक्षी द्वारा यह भी कहा गया है कि गेंजर पर्चा में नाम अंकित होना सिर्फ दखल को दिखाता है जिसका कोई विशेष महत्व नही है साथ ही विपक्षी द्वारा यह भी कहा गया है कि निम्न न्यायालय में एडभर्ष अवैध दखल पर अधारित हुआ है। यह भी कहना गलत है कि उक्त म्यूटेशन की जानकारी दिनांक-02.02.2007 को हुई है। अतएव यह लिमिटेशन एक्ट के तहत खारिज करने योग्य है। अपीलकर्त्ता द्वारा निम्न न्यायालय में कोई विश्वासीय कारण उल्लेख नही किया है जिस आधार पर काल वाधित अपील को क्षमा कर विचारण किया जाय, क्योंकि यह अपील निम्न न्यायालय में 47 वर्षो के वाद दाखिल किया गया।

अपीलकर्त्ता द्वारा यह भी कहा गया है कि 1932 से दखल मे है एवं 1960 में उक्त म्यूटेशन किया गया एवं इस प्रकार रसीद भी प्राप्त कर रहे है अपने लिखित आवेदन के पारा-10 में कहा गया है कि अपीलकर्त्ता द्वारा रिभीजन के दौरान मुख्य तथ्य उजागर नही कर सकते है तथा पारा-11 में अपीलकर्त्ता ने कोई भी निम्न न्यायालय के आदेश को गलत ठहराने का न्यायापूर्ण तथ्य नही लिया है अतएव यह रिभीजन/अपील खारीज करने योग्य है।

उभय पक्षों द्वारा किया गया बहस एवं अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेज एवं दाखिल कागजात के आधार पर पाया गया कि प्रश्नगत जमीन जमाबंदी नं0-74 प्लॉट नं0-482, 483 रकवा- 14कट्टा 16धूर जमीन से संबंधित है तथा गेंजर पर्चा में ज0नं0-74 के प्लॉट नं0- 482 एवं 483 के कॉलम-1 में फुलवाड़ी अंकित है तथा कैफियत खाने में दखल क्रमशः हरिचरण राम, हरिचरण राम व गणपति राम अंकित है, स्पष्ट है कि अपीलकर्त्ता गण गेंजर सेंटलमेंट के पूर्व से विवादित जमीन पर दखलकार है एवं स्वामित्व प्राप्त है। चुँकि गेंजर सर्वे विगत 1925 से 1933-34 तक समाप्त हुआ है इस स्थिति में उत्तरवादी का दावा दखल के आधार पर साक्ष्यहीन है।

म्यूटेशन केस नं0-32/59-60 का सम्पूर्ण अभिलेख को देखने से स्पष्ट है कि बलबडड्डा स्टेट के जमीदार द्वारा जमीन बन्दोबस्ती का कोई कागजात अभिलेख पर मौजुद नही है जबकि अंचलाधिकारी के आदेश दिनांक-23.12.59 में ऐसा अंकित है कि बलबड्डा स्टेट के जमीनदार ने दिनांक-18.08.1938 को प्रश्नगत जमीन की वदोबस्ती उत्तरवादी के पूर्वज कुमार राम है जबकि उक्त अभिलेख में कोई कर्मचारी का अलग से प्रतिवेदन नही है दिनांक-29.11.1959 को उत्तरवादी कुमार राम पिता-स्व0 रमसी राम, ग्राम-अमौर,

अपर समाहर्त्ता का न्यायालय, गोड्डा

मुटेशन रिभिजन नं0- 17/2012-13

थाना-महागामा, जिला-गोड्डा द्वारा दिये गये म्यूटेशन आवेदन में दिनांक-29.11.1959 को ही कर्मचारी द्वारा यह अंकित किया है कि उक्त बन्दोवस्ती बलबड्डा स्टेट के जमीदार द्वारा 18.08.1938 को बन्दोवस्त की गई तथा अलग से इनक्वायरी रिर्पोट अभिलेख पर उपलब्ध नही पाया गया। निम्न न्यायालय के अभिलेख एवं आदेश को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि अपील को बिना स्वीकृत किये ही अपील की सुनवाई की गयी है और आदेश पारित किया गया है तथा तथ्यों पर आधारित कोई आदेश पारित न कर अपील कालवाधित दिखलाते हुए अपील अस्वीकृत किया है।

जबकि कानूनी विवेचना से स्पष्ट है कि किसी भी अपील या रिभिजन को प्रथम दृष्टया स्वीकृत करते हुए नोटिस निर्गत किया जाना चाहिए लेकिन निम्न न्यायालय द्वारा स्वीकृत कराते हुए नोटिस निर्गत किया गया है तदोपरांत सुनवाई का आदेश पारित किया गया है।

अतः निम्न न्यायालय का आदेश म्यूटेशन अपील नं0-14/2009-10 मे आदेश दिनांक-22.06.12 को निरस्त करते हुए अभिलेख पूर्ण विचार हेतु पुनः निम्न न्यायालय को इस निर्देश के साथ वापस किया जाता है कि तथ्यों पर आधारित वो दखलकार होने का साक्ष्य इकट्ठा कर विधिवत् रूप से आदेश पारित करें।

आदेश की प्रति के साथ निम्न न्यायालय का अभिलेख वापस भेजे।

Digitally signed by SMITA TOPPO
Date: 2023.05.20 15:15:07 +05:30
Location: 192.168.1.9

लेखापित, एवं संशोधित।

12.12

अपर समाहर्त्ता,
गोड्डा।

12.12.12

अपर समाहर्त्ता,
गोड्डा।